



दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

मुख्य योजना - 2021 की समीक्षा
Master Plan Review-2021

पंजीकरण फार्म
REGISTRATION FORM

"ओपन हाउस मीट्स"
"OPEN HOUSE MEETS"

Zone - M.

फार्म प्रतिभागी द्वारा भरा जाए
Form to be filled by Participant

नाम Name	Rakesh Kumar
प्रतिनिधि : Representing : सरकारी विभाग / फेडरेशन / संघ (एसोसिएशन) / आर डब्लू ए / व्यक्तिगत Government Department/ Federation/Association/RWA/ Individual	Individual
वर्तमान स्थिति Present Position	R.T.I, Activist & Social Activist
फोन : कार्यालय Phone : Office आवास Residence मोबाइल Mobile	G-27 Budhviher Phase I, Delhi - 110086 9968241017 9136292957
फैक्स : Fax :	
ई-मेल E-mail	
पता : Address :	G-27 Budhviher, Phase I, Delhi-86
हस्ताक्षर : Signature :	
तिथि : Date :	01/5/2012

OFFICE OF THE DIR (PIO)
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
By.No. 2989
Dated 11/5

77

Suggestion was handed over to moderator

"अपने पंजीकरण फार्म ओपन हाउस मीट्स के स्थल पर जमा कराएं
"Submit your registration form at the venue of Open House meets."

बु.वि/376297/सुभाष/20/2/151

दिनांक 01/05/2022

स्वामी
उपनिवेशक रलानिका,
जोन-17, प्रीतमपुरा
नई दिल्ली-110034

सुभाषकाली:-

शोभन कुमार
जी-27 बुट्टा विहार
फेस-1, दिल्ली-86
(99968241017
9136282857

विषय:- MPD-2021 पुनर्निवेश सुभाष ।

सहाय्य

1. दिल्ली राज्य की परियोजना के फलफल का कम से कम 35% भूमि रूवेती वाली होनी अति आवश्यक है।

रूवेती वाली भूमि के मालिकों को रूवेती करने के एवज में प्रोत्साहन राशि देनी चाहिए

2. Sub Division के प्लान के नक्शों को पास करना चाहिए अनधिकृत नक्शों को पास करने की कार्रवाई प्रकिया कम करनी चाहिए।

(क) मालिकाना दस्तावेजों की रजिस्ट्री खोलनी चाहिए

(ख) नक्शों की तर्ज पर वह मकान जिनके नक्शे पास नहीं हो सकते MPD-2021 के B.B.L में उन्हें बनाने का प्रावधान है। ताकि उन्हें सिविक रेज्यून्सी लॉड ना पायें।

3. अनधिकृत बस्तियों में सभी आवश्यक सुविधाएँ मिलें जैसे

(1) बस्ती अधिकृत नियमित है

(2) व्यवसायिक गतिविधियाँ करने की व्यवस्था हो या छूट देना प्रावधान है।

(3) सभी सामाजिक सुलभता आवश्यकताएँ प्राप्त हैं।

(4) जिस प्रकार सभी राजनीतिक पार्टीयों के लिए अनधिकृत बस्तियों के निवासियों के वोट अधिकृत है वजाया सब अनधिकृत उन्हें

अधिकृत करने का प्रावधान, व्यवस्था है।

4. आज के परिवेश में दिल्ली के वह निवासी जिनके मकान नहीं है या अनधिकृत DDA के पास ऐसी व्यवस्था है इन्हें मकान दिए जायें या प्रस्ताव प्रावधान है।

12. DDA के दुकानों के मालिकों को अपनी वह दुकानें जिनकी हदें चारों की हैं, गोल हैं उन्हें आज के डिजाइन के अनुसार R.C.C. की हदें डालने का भी प्रावधान है।
13. पुरानी वह खमि जो MCD / TP के Low Out Plan में सामरिक सुविधाओं हेतु ली गई है पर उनका नब्बा CIVIC Agency के पास नहीं है और नब्बा धारकों ने मुनावा लिया, जो Alternative Plot लिए है उनके 20 साल से पुराने कब्रों हैं उन्हें नब्बा धारकों से ना लिया जाये उनका Side Plan भी पास हो।
14. DDA का स्कार के दूसरे सभी निकायों का आपसी सहानुभव है।
15. B.B law को भी जनअंकों के अनुसार भी बदलने की आवश्यकता है।
16. DDA का प्रोडिक्ट बिजनेस व कम्पनियों की कार्य प्रणाली व मजिस्ट्रल की जांच का प्रावधान है।
17. SCSJ व मानियारिटर्स की जांचों की तरह O.B.C को भी दुकान व मकान कम हरी; किराये में देने का भी MPP 2024 में प्रावधान है।
18. स्कॉ व स्कॉिंग गलियों में अवैध रवडी गाडियों व अतिक्रमण को हटवाने का प्रावधान है।
19. D.G. B. व्यव के साथ मिलकर शहरी कर समसिक्ल लगाने का प्रावधान है पानी बूल भी आवश्यकता है इसका प्रावधान के सरकारी निकायों का प्रष्टाचार खत्म करने में सहयोग करे।
20. ऐसे परिवारों व्यक्तियों को विशेष ध्यान MPP-2024 में ही ध्यान पास ना सरकारी व प्राइवेट बौकरी है और ना माल व व्यवसायिक दुकान लेन की आर्थिक क्षमता है उन्हें अपने मकानों में दुकान खोलने की व्यवसायिक मान्यता दे ना कि mix land use को ऐसा प्रावधान करे।
21. पहले यहाँ के निवासियों की हज्ज की समीक्षा की कुतई का व्यापार रख प्रावधान व गायजाये।

रविशंकर

(3)